

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4851/2025

Malti W/o Phool Chand

----Appellant

Versus

Rajendra Kumar Meena S/o Motilal,

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Mahesh Gupta, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

11/02/2026

प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 01/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित आधार उचित होने से शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार पी एफ नोटिस व डाक खर्च पेश किये जाने पर प्रत्यर्थीगण को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ स्पीड पोस्ट से जारी किये जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को नोटिस निवेदनानुसार दस्ती प्रदान किये जावे।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का अभिलेख तलब किया जावे।

अभिलेख तलबी के क्रम में जारी पत्र निवेदन अनुसार विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को दस्ती प्रदान किया जावे।

अंतरिम आदेश बाबत सुना गया।

प्रकरण में अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो, मात्र इस उद्देश्य व मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विपक्षी को पाबंद किया जाता है कि वे आगामी सुनवाई की तिथि तक वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय, अंतरित व भारित नहीं करे। यह आदेश विपक्षी को नोटिस तामील होने के उपरांत प्रभावी होगा।

यह आदेश मात्र सुनवाई की आगामी तिथि तक प्रभावी रहेगा, जो उस दिन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात दोनों पक्षों को आवश्यकतानुसार सुनकर प्रकरण में अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जावेगा।

पत्रावली दिनांक 17.03.2026 को सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J